an>

Title: Need to provide funds for expenditure incurred by co-operative credit societies in disbursement of wages under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme particularly in Rajasthan.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत **(जोधपुर) :** अल्पकालीन सहकारी साख संस्थाएं राज्य में "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना" श्रमिकों के माध्यम से भुगतान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इन संस्थाओं द्वारा 39 लाख मनरेगा श्रमिकों को भुगतान का कार्य अब तक संतोषजनक हो रहा है परंतु इन संस्थाओं को इस कार्य निष्पादन हेतु होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक एवं अन्य खर्चों के लिए कोई राशि प्राप्त नहीं हो रही है। अतः इन संस्थाओं को इसका प्रतिफल मिलना चाहिए। राजस्थान में अल्पकालीन सहकारी संस्थाओं का नेटवर्क काफी मजबूत है तथा इनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में सभी सीमांत कृषकों में लगभग 80 प्रतिशत को फसली ऋण उपलब्ध कराना आदि शामिल है। अतः यह आवश्यक है कि इन संस्थाओं को इस कार्य निष्पादन में हो रहे खर्चों की पूर्ति स्वरूप अन्य एजेंसियों की भांति कुछ प्रतिशत निर्धारित किया जाए। इस संबंध में राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार से भी निवेदन किया है।

अतः मेरा माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री से आग्रह है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में श्रमिकों को भुगतान में हो रहे व्ययों हेतु सहकारी संस्थाओं को प्रति खाता प्रतिवर्ष अन्य संस्थाओं की भांति राशि उपलब्ध करवाने की कृपा की जाए और किए गए भुगतान की राशि के 2 प्रतिशत के समक्ष राशि सहकारी संस्थाओं को प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति हेतु उपलब्ध करवाई जाए।